भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली

एनएमए की 526वीं आरजीपी बैठक का कार्यवृत्त

स्थान-तक्षशिला सम्मेलन कक्ष, एनएमए
दिनांक और समय - 16 जुलाई, 2026 अपराह्न 03.00 बजे

*****

बैठक में निम्नलिखित ने भाग लिया:

1. सुश्री वंदना जैन, अध्यक्ष, एनएमए **(अध्यक्ष)** **(वीसी के माध्यम से)**
2. श्री भास्कर वर्मा, सदस्य सचिव, एनएमए
3. कर्नल सव्यसाची मारवाहा, निदेशक, एनएमए

कार्यसूची 01

525वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची 02

ऑनलाइन नए मामले

मामला संख्या 01

(श्री दुंदप्पा शनमुखप्पा गुड्डोडगी और श्री अन्नाप्पा महारुद्रप्पा गुड्डोडगी, निवासी बालेश्वर नाका सरदार वल्लभभाई पटेल रोड राज्य राजमार्ग (एसएच)-34 (सिटी लिमिट रोड) विजयपुरा, कर्नाटक - 586101)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने सर्वेक्षण संख्या 38*/*/ प्लॉट नंबर 03, विजयपुरा, बीजापुर, कर्नाटक में 06.90 मीटर (सभी शामिल) की ऊंचाई के साथ भूतल के साथ जीएफ (कार्यालय भवन) = 42.25 वर्ग मीटर, जीएफ (संरचनात्मक कैनोपी) = 226.22 वर्ग मीटर, **भूमि स्तर से नीचे:** 16 केएल टैंक-02 संख्या = 21.80 वर्ग मीटर, 2 केएल टैंक-01 संख्या = 13.50 वर्ग मीटर और गहराई = 02.85 मीटर तलक्षेत्र के पेट्रोल पंप के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए,

ख) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उपनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; तथा

ङ) अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन उपनियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

मामला संख्या 02

(श्रीमती आशा देवी, ग्राम नेकपुर खुर्द, पोस्ट आवाजपुर, जिला - फर्रुखाबाद-उत्तर प्रदेश - 209625)

आवेदन का अवलोकन करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

क) प्रस्तावित भवन की अधिकतम ऊंचाई 07.50 मीटर (सभी सहित) तक सीमित होनी चाहिए।

ख) भवन योजना में मौजूदा भूतल क्षेत्र 181.50 वर्ग मीटर बताया गया था, जबकि फॉर्म-1 और फॉर्म-2 में इसका उल्लेख नहीं किया गया था।

आवेदक उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद सक्षम प्राधिकारी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत कर सकता है। सक्षम प्राधिकारी इसके बाद संशोधित फॉर्म-2 को विचार के लिए प्राधिकरण को भेजेगा

मामला संख्या 03

(श्री अशोक कुमार, मकान नंबर 559, सदर बाजार करनाल, हरियाणा)

आवेदन का अवलोकन करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

क) फॉर्म-1 और फॉर्म-2 में प्रस्तावित निर्माण क्षेत्र को जीएफ = 300.00 वर्ग मीटर के रूप में उल्लेख किया गया है। हालाँकि, भवन योजना कुल भूमि क्षेत्र 2,192.00 वर्ग मीटर दर्शाती है जिसमें से 1,671.63 वर्गमीटर 50.00 मीटर चौड़ी हरित पट्टी के भीतर आता है। शेष 520.37 वर्ग मीटर भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) के लिए विचार किए गए क्षेत्र के रूप में है। भवन योजना में 104.19 वर्ग मीटर के तलक्षेत्र के साथ एक ध्यान कक्ष भी दिखाया गया है। इसलिए कार्य का क्षेत्र, प्रस्तावित निर्माण क्षेत्र और भूमि उपयोग स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं होते हैं और प्रस्तुत दस्तावेजों में असंगत हैं।

ख) फॉर्म-1 प्रस्तावित निर्माण के उद्देश्य को वाणिज्यिक के रूप में इंगित करता है, जबकि भवन योजना में धार्मिक/योग आश्रम/ध्यान केंद्र का उल्लेख किया गया है।

ग) सेक्शन/ऊंचाई योजना भवन योजना के साथ संलग्न नहीं थी।

घ) प्रस्तावित स्थल के पते का उल्लेख भवन योजना या स्व-घोषणा में नहीं किया गया था।

ङ) मालिक ने मालिकों की ओर से आवेदन करने के लिए एक नोटरीकृत प्राधिकार के माध्यम से आवेदक को अधिकृत किया है। हालाँकि, उक्त प्राधिकार को उप-पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत नहीं किया गया है।

च) फॉर्म-1 और फॉर्म-2 में केवल श्री अशोक कुमार का आवेदक के रूप में उल्लेख किया गया है, जबकि जिनके नाम पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है, उनके नाम के कॉलम से मालिकों के नाम हटा दिए गए हैं।

छ) संरक्षित संस्मारक के जिले का उल्लेख फॉर्म-1 और फॉर्म-2 में अंबाला के रूप में किया गया है, जबकि स्थल निरीक्षण रिपोर्ट और संरक्षित संस्मारक के चित्र इसे करनाल के रूप में दर्शाते है। इसके अलावा, प्रस्तावित स्थल करनाल जिले में भी स्थित है।

आवेदक उपरोक्त टिप्पणियों को सुधारने के बाद सक्षम प्राधिकारी, हरियाणा के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत कर सकता है। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी संशोधित फॉर्म-2 को विचार के लिए प्राधिकरण को भेजेगा।

<u>मामला संख्या 04</u>

(श्री विपुलभाई मनुभाई शाह, एजेव स्टील मैन्युफैक्चरर्स प्रा. लि. के निदेशक, एजेव स्टील मैन्युफैक्चरर्स प्रा. लि., अंबिका ऑयल मिल कंपाउंड, गोमतीपुर गेट के बाहर, गोमतीपुर, अहमदाबाद, गुजरात - 380021)

आवेदन का अवलोकन करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया और आवेदक को संपत्ति दस्तावेजों में उल्लिखित पूर्ण प्रस्तावित स्थल पते का उल्लेख करते हुए स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहा। आवेदक उपरोक्त टिप्पणी का अनुपालन करने के बाद सक्षम प्राधिकारी, गुजरात के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत कर सकता है।

<u>मामला संख्या 05</u>

(श्री साजिद मुहम्मदहनीफ सोराठिया, नगीना मस्जिद के सामने, सुतारवाड़ा, पोरबंदर जिला - पोरबंदर, गुजरात - 360575)

आवेदन का अवलोकन करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

क) प्रस्तावित भवन की अधिकतम ऊंचाई 10.00 मीटर (सभी शामिल) तक सीमित होनी चाहिए।

ख) प्रस्तावित निर्माण का तलक्षेत्र का फॉर्म-1 में 2 एफ = 2.2296 वर्ग मीटर, 2 एफ = 2.2296 वर्ग मीटर के रूप में उल्लेख किया गया था, हालांकि, फॉर्म-2 और भवन योजना में इसे जीएफ = 1 एफ = 133-89-60 वर्ग मीटर और लिफ्ट रूम = 02-22-96 वर्ग मीटर के रूप में उल्लिखित किया गया था।

आवेदक उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने और हाइफ़नयुक्त अंकों के बजाय दशमलव संकेतन में सभी क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से इंगित करने के बाद सक्षम प्राधिकारी, गुजरात के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत कर सकता है। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी संशोधित फॉर्म-II को विचार के लिए प्राधिकरण को भेजेगा।

<u>मामला संख्या 06</u>

(श्री किशोरभाई जश्वंतराय त्रिवेदी, वीर भगतसिंह मार्ग, गांधी चौक, तलजा, तालुका-तलजा, जिला-भावनगर, गुजरात - 364140)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने सी.एस. नंबर 1449 पार्ट, हिस्सा नंबर 2, शीट नंबर 20, वार्ड-तलाजा, भावनगर, गुजरात में 11.95 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 91.62 वर्ग मीटर, 1एफ = 98.45 वर्ग मीटर, छत की मंजिल = 50.90 वर्ग मीटर तलक्षेत्र के आवासीय सह वाणिज्यिक भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए;

ख) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उप-नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; तथा

ङ) अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन उप-नियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

<u>मामला संख्या 07</u>

(श्री किशोरभाई मंगलभाई रानिंगा, श्रीमती शोभना किशोरभाई रानिंगा, श्री कमलेश किशोरभाई रानिंगा और श्री जय किशोरभाई रानिंगा, भोजेश्वर प्लॉट, पोरबंदर, जिला - पोरबंदर, गुजरात - 360575)

आवेदन का अवलोकन करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

क) प्रस्तावित भवन की अधिकतम ऊंचाई 10.00 मीटर (सभी शामिल) तक सीमित होनी चाहिए।

ख) आवेदक को भारतीय न्याय संहिता, 2023 के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, 01 जुलाई 2024 से राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (एनएमए) की वेबसाइट पर उपलब्ध नए प्रारूप में संशोधित स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए।

ग) भवन योजना में जीएफ का मौजूदा क्षेत्र = 22.3867 वर्ग मीटर और 1F = 22.3867 वर्ग मीटर का उल्लेख किया गया था, जबकि, फॉर्म-1 और फॉर्म-2 में इसका उल्लेख नहीं किया गया था।

घ) भवन योजना में दूसरी मंजिल के मौजूदा और प्रस्तावित तलक्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया था।

ङ) फॉर्म-1 और संपत्ति दस्तावेज़ में प्रस्तावित स्थल के पते का अन्य दस्तावेजों अर्थात् फॉर्म-2, स्व-घोषणा और भवन योजना के साथ बेमेल था।

आवेदक उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद सक्षम प्राधिकारी, गुजरात के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत कर सकता है। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी संशोधित फॉर्म-2 को विचार के लिए प्राधिकरण को भेजेगा।

<u>ऑफलाइन नए मामले</u>

<u>मामला संख्या 08</u>

(श्री अमर प्रवीणचंद्र शेठना, कार्यालय 301-जय मारुति कॉम्प्लेक्स, सुमन देसाई वाडी, उधना दरवाजा, रिंग रोड, सूरत, गुजरात - 395002)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने मामले को **खारिज** करने का निर्णय लिया क्योंकि इसी स्थल के लिए पहले मलिका सूर्यसेन झवेरी, मार्फत अमर प्रवीणचंद्र शेठना, वास्तुकार अभियंता, 301-जय मारुति कॉम्प्लेक्स, सुमन देसाई वाडी, उधना दरवाजा, रिंग रोड, सूरत- 395002, गुजरात, द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर प्राधिकरण की 18 दिसंबर 2019 को हुई 245वीं बैठक में विचार किया गया था और मामले को खारिज कर दिया गया था क्योंकि आवेदक ने पहले ही एनएमए की पूर्व मंजूरी लिए बिना निर्माण कार्य कर लिया था। इसके अलावा, सक्षम प्राधिकारी, गुजरात की रिपोर्ट में अब कहा गया है कि "आवेदक ने फॉर्म-I में प्रस्तावित कार्य की प्रकृति" "मरम्मत और नवीनीकरण" के रूप में बताई है। हालांकि, आवेदन के साथ प्रस्तुत योजना और ऊंचाई के रेखाचित्रों की जांच करने पर यह देखा गया है कि भवन की कुल ऊंचाई 23.80 मीटर (बेसमेंट, पार्किंग + जीएफ, पार्किंग + 5 मंजिल) दिखाई गई है। इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि पहले के आवेदक द्वारा निर्मित भवन की कुल ऊंचाई 14.80 मीटर थी, जिसमें बेसमेंट, पार्किंग + जीएफ, पार्किंग + 4 मंजिल शामिल थी। इसलिए, वर्तमान आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रस्ताव में मौजूदा संरचना से अधिक ऊंचाई और मंजिलों की संख्या में वृद्धि शामिल प्रतीत होती है।

सक्षम प्राधिकारी को आवेदक को आवेदन खारिज करने की सूचना देते समय धारा 20डी (6) और सिविल आवेदन संख्या 12822/2022, मल्लिकाबेन सूर्यसेन झवेरी (06.07.2020 को मृत) और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के पैरा 8 के प्रावधानों का पालन करना होगा।

<u>मामला संख्या 09</u>

(श्री हिम्मतभाई दुदाभाई बलदानिया, प्राचार्य, केंद्रीयवर्ती शाला नं. 3, केंद्रीयवर्ती शाला नं. 3, गांधीजी की प्रतिमा के सामने, तलजा, तालुका-तलजा, जिला भावनगर, गुजरात- 364140)

आवेदन का अवलोकन करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

क) प्रस्तावित भवन की अधिकतम ऊंचाई 12.20 मीटर (सभी शामिल) तक सीमित होनी चाहिए।
ख) प्रस्तावित स्थल के पते का उल्लेख भवन योजना में नहीं किया गया था।
ग) फॉर्म-1, फॉर्म-2 और भवन योजना में प्रस्तावित निर्माण की दूसरी मंजिल के क्षेत्रफल में विसंगति थी।

आवेदक उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद सक्षम प्राधिकारी, गुजरात के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव को फिर से प्रस्तुत कर सकता है। सक्षम प्राधिकारी इसके बाद संशोधित फॉर्म-2 को विचार के लिए प्राधिकरण को भेजेगा।

मामला संख्या 10

(श्री गुड्डू कुमार चौरसिया पुत्र श्री गणेश प्रसाद चौरसिया, वीटीसी नागरा, पोस्ट - नागरा, जिला - सारण, बिहार - 841442)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने अर्जी संख्या-283, मौजा-घुराहूपुर, परगन-शिवपुर, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221007 में 07.50 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 1 एफ = 104.38 वर्ग मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए;

ख) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उप-नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; तथा

ड़) अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन उप-नियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

मामला संख्या 11

(श्री माइकल. के.डी. और अन्य, कलाथिल हाउस, मेथला, कोडुंगल्लूर पी.ओ, त्रिशूर, केरलम - 680664)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया और आवेदक को भारतीय न्याय संहिता, 2023 के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, 01 जुलाई 2024 से राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (एनएमए) द्वारा निर्धारित नए प्रारूप में संशोधित स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहा। उपरोक्त टिप्पणी का अनुपालन करने के बाद आवेदक सक्षम प्राधिकारी, केरलम के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत कर सकता है।

मामला संख्या 12

(श्रीमती सुस्मिता और श्री हरिदासन के, कपिलपुरथ थाझाथेथिल हाउस, अरियान्नूर पी.ओ, त्रिशूर, केरलम - 680102)

आवेदन का अवलोकन करने के बाद प्राधिकरण ने मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया और आवेदक को 01 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता, 2023 के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (एनएमए) द्वारा निर्धारित नए प्रारूप में संशोधित स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कहा। आवेदक उपरोक्त टिप्पणी का अनुपालन करने के बाद सक्षम प्राधिकारी, केरलम के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत कर सकता है।

ऑनलाइन अनुपालन मामले

मामला संख्या 13

(श्री अजयकुमार पुत्र अप्पासाहब, जुम्मननवर, विजयपुर, जिला और तालुक, विजयपुर, कर्नाटक - 586101)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने सर्वेक्षण संख्या 923बी, प्लॉट नंबर 115, महलबागायत, विजयपुरा, कर्नाटक में 07.47 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ भूतल + 1 मंजिल के साथ भूतल = 1 मंजिल = 66.92 वर्ग मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए;

ख) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उप-नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; तथा

ड़) अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन उप-नियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

<u>मामला संख्या 14</u>

(श्री कृष्ण कुमार, 157, तिलक बाज़ार, हिसार, हरियाणा)

आवेदन का अवलोकन करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

क) फॉर्म-I, स्व-घोषणा, संपत्ति दस्तावेजों और भवन योजना में दो मालिकों के नाम उल्लिखित थे, जबकि फॉर्म-II में केवल एक मालिक का नाम उल्लिखित था।

ख) फॉर्म-I/स्व-घोषणा (18-बी शर्मा गली तिलक बाजार) में प्रस्तावित निर्माण स्थल के पते का फॉर्म-II (18, शर्मा गली, तिलक बाजार) और भवन योजना (तिलक बाजार, शर्मा गली) के साथ बेमेल था।

ग) फॉर्म-I, फॉर्म-II (जीएफ+2 मंजिल) में भवन योजना (जीएफ+1एफ) के साथ तलक्षेत्र (मंजिल-वार) का बेमेल था।

आवेदक उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद सक्षम प्राधिकारी, हरियाणा के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव को फिर से प्रस्तुत कर सकता है। सक्षम प्राधिकारी इसके बाद संशोधित फॉर्म-II को विचार के लिए प्राधिकरण को भेजेगा।

<u>ऑफलाइन अनुपालन मामले</u>

<u>मामला संख्या 15</u>

(प्रबंध निदेशक, हीलिंग टच चैरिटेबल ट्रस्ट, निवासी मोहम्मद युसूफ आर. इटगी, इटगी कॉलोनी इटगी के बगल में, पेट्रोल पंप, अथनी रोड, विजयपुरा, कर्नाटक - 586108)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने सर्वेक्षण संख्या 740/बी, प्लॉट नं. 15, महलबागायत इटगी पंप बैक ए1-अमीन रोड, विजयपुरा, कर्नाटक में 10.85 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ भूतल + 2 मंजिलों के साथ जीएफ = 1 एफ = 1151.57 वर्ग मीटर, 2 एफ = 90.97 वर्ग मीटर तलक्षेत्र के वाणिज्यिक (अस्पताल) भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए;

ख) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उप-नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; तथा

ड़) अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन उप-नियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

<u>मामला संख्या 16</u>

(श्री प्रदीप कुमार तिवारी, पुत्र माचेंदर सिंह तिवारी, मकान नंबर 9-184 और 9-185 , कटगरपुरा शाहबाजार, जिला - कलबुर्गी, कर्नाटक - 585101)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने निगम संख्या 9-184 और 9-185, सीटीएस संख्या 1222, शीट संख्या 39, ब्लॉक संख्या 1 कटगरपुर, शाहाबाजार, जिला - कलबुर्गी, कर्नाटक में 07.20 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ भूतल + 1 मंजिल के साथ जीएफ = 50.72 वर्ग मीटर, पार्किंग क्षेत्र = 28.87 वर्ग मीटर, 1एफ = 90.35 वर्ग मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए;

ख) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उप-नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; तथा

ड़) अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन उप-नियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

<u>मामला संख्या 17</u>

(श्री शायान कुरैशी और श्री जीशान कुरैशी पुत्र श्री शरीफ कुरैशी, 42-सी विकास नगर, ग्वालियर, जिला-ग्वालियर, मध्य प्रदेश)

आवेदन का अवलोकन करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

क) भवन योजना सुपाठ्य नहीं थी।
ख) मौजूदा और प्रस्तावित निर्माण क्षेत्र और भवन की ऊंचाई का उल्लेख भवन योजना में नहीं किया गया था।
ग) फॉर्म-II और भवन योजना में मौजूदा भूतल क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया था, जबकि फॉर्म-I में इसका 105.34 वर्ग मीटर के रूप में उल्लेख किया गया था।
घ) भवन योजना पर लाइसेंस प्राप्त वास्तुकार द्वारा हस्ताक्षर और मुहर नहीं लगाई गई थी।

आवेदक उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव को फिर से प्रस्तुत कर सकता है। सक्षम प्राधिकारी इसके बाद संशोधित फॉर्म-II को विचार के लिए प्राधिकरण को भेजेगा।

<u>मामला संख्या 18</u>

(श्री विष्णुजी परबतजी ठाकोर, गांव - नवापुरा, ठाकोरवास, पोस्ट - सुल्तानपुर, तालुका - वडनगर, जिला - महेसाणा, गुजरात - 384355)

आवेदन का अवलोकन करने के बाद प्राधिकरण ने 19 और 20 मई 2026 को आयोजित अपनी 519वीं बैठक में लिए गए अपने पहले के निर्णय को दोहराने का निर्णय लिया और आवेदक को प्रस्तावित निर्माण के लिए अधिकतम ऊंचाई 07.50 मीटर (सभी सहित) तक सीमित करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया। आवेदक यथाशीघ्र सक्षम प्राधिकारी, गुजरात के माध्यम से

संशोधित भवन योजना के साथ संशोधित फॉर्म-1 को फिर से प्रस्तुत कर सकता है। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी संशोधित फॉर्म-2 को विचार के लिए प्राधिकरण को भेजेगा।

मामला संख्या 19

(कार्यकारी अभियंता, जीएचएमसी, कार्यकारी अभियंता का कार्यालय, सीआरजेड, चारमीनार, सर्कल-9, जीएचएमसी, हैदराबाद, जिला, तेलंगाना)

आवेदन का अवलोकन करने के बाद प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि उसे एएमएएसआर अधिनियम 1958 (2010 में संशोधित) की धारा 2 (डीसी) में दी गई 'निर्माण' की परिभाषा के अपवाद खंड के तहत व्यापक सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए संरक्षित संस्मारक, "चारमीनार", हैदराबाद, तेलंगाना के निकट चारमीनार के पूर्व की ओर, ट्रैफिक पीएसओ के बगल में, रथखाना स्ट्रीट, हैदराबाद, तेलंगाना - 500002 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन 03.75 मीटर (सभी शामिल) की ऊंचाई के साथ भूतल के साथ जीएफ = 162.65 वर्ग मीटर तलक्षेत्र के साथ मौजूदा पुराने शौचालयों के स्थान पर बहुउद्देशीय आधुनिक सार्वजनिक शौचालय की स्थापना के लिए **'कोई आपत्ति नहीं'** है:

क) यह कार्य अधीक्षण पुरातत्वविद्, चारमीनार सर्कल, एएसआई की देखरेख में किया जाना चाहिए

ख) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए; और

ग) आवेदक को कार्य शुरू करने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

ऑफलाइन पुनर्विचार मामला

मामला संख्या 20

(श्री जी.वी. बालकृष्णन, गोपुराथिगल, वेलुथेदाथ हाउस, वलप्पड, पी.ओ. त्रिशूर, केरलम - 680567)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने इस टिप्पणी के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया कि आवेदक सक्षम प्राधिकारी, केरलम के माध्यम से फॉर्म-I प्रस्तुत करेगा। सक्षम प्राधिकारी इसके बाद संशोधित फॉर्म-II को विचार के लिए प्राधिकरण को भेजेगा।

पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन मामले

मामला संख्या 21

(डिवीजन नियंत्रक केकेआरटीसी कोप्पल, केकेआरटीसी डिवीजन कार्यालय, सिम्पी लिंगन्ना रोड, जिला - कोप्पल, कर्नाटक)

आवेदन और आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरण का अवलोकन करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

क) आवेदक संरक्षित संस्मारक के विनियमित क्षेत्र से परे अर्थात संरक्षित संस्मारक "महादेव मंदिर", इटगी, कोप्पल, कर्नाटक की संरक्षित सीमा से 300 मीटर परे प्रस्तावित बस स्टैंड भवन को स्थानांतरित करने की व्यवहार्यता का पता लगा सकता है।

ख) यदि ऐसा करना संभव नहीं है और निर्माण विनियमित क्षेत्र में किया जाना है, तो प्रस्तावित संरचना की अधिकतम ऊंचाई 06.00 मीटर (सभी शामिल) तक सीमित होनी चाहिए।

आवेदक उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव को फिर से प्रस्तुत कर सकता है। सक्षम प्राधिकारी इसके बाद संशोधित फॉर्म-II को विचार के लिए प्राधिकरण को भेजेगा।

मामला संख्या 22

(श्री आलोक कुमार चौबे, कार्यपालक अभियंता, नर्मदा विकास, कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, नर्मदा विकास, जिला - धार, मध्य प्रदेश - 474011)

प्रस्तुति देने के लिए आवेदक प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।

मामला संख्या 23

(श्री अजीत नाथ कलसी और श्रीमती माया देवी कलसी, 4/114जी, सिविल लाइंस, बाग फरजाना, हरिपरबत, आगरा, उत्तर प्रदेश)

आवेदन और आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण का अवलोकन करने के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **वापस भेजने** का निर्णय लिया:

क) प्रस्तावित भवन की अधिकतम ऊंचाई 15.00 मीटर (सभी शामिल) तक सीमित होनी चाहिए।

ख) केवल एक बेसमेंट (बेसमेंट नं. 01) को शामिल किया जा सकता है और बेसमेंट की गहराई 04.00 मीटर तक सीमित की जानी चाहिए।

आवेदक उपरोक्त टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद सक्षम प्राधिकारी, आगरा, उत्तर प्रदेश के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव को फिर से प्रस्तुत कर सकता है। सक्षम प्राधिकारी इसके बाद संशोधित फॉर्म-II को विचार के लिए प्राधिकरण को भेजेगा।

अतिरिक्त कार्यसूची

ऑनलाइन ताज़ा मामले

मामला संख्या 24

(श्री आकाश अत्री, श्री पवन वशिष्ठ उर्फ पवन वशिष्ठ, श्री अंशुल अग्रवाल और श्री आनंद कुमार गौतम, प्लॉट 44-ए/3, खसरा नं. 288/249/2, कालू सराय, नई दिल्ली)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने मामले को **खारिज करने** का निर्णय लिया क्योंकि आवेदक ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, 01 जुलाई 2024 से राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (एनएमए) की वेबसाइट पर उपलब्ध नए प्रारूप में संशोधित स्व-घोषणा प्रस्तुत नहीं की थी। आवेदक उपरोक्त टिप्पणी का अनुपालन करने के बाद सक्षम प्राधिकारी, एनसीटी दिल्ली के माध्यम से नए सिरे से आवेदन कर सकता है।

मामला संख्या 25

(श्रीमती अमनदीप कौर, श्री मनमीत सिंह लांबा और श्रीमती जसप्रीत कौर, बी-57, न्यू गुप्ता कॉलोनी, दिल्ली)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने प्लॉट नंबर-36, ब्लॉक-बी, सीसी कॉलोनी राणा प्रताप बाग, दिल्ली में 17.95 मीटर (ममटी, पैरापेट, वाटर स्टोरेज टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस, टेरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ स्टिल्ट = जीएफ = 1 एफ = 2 एफ = 3 एफ = 125.39 वर्ग मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए,

ख) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उपनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; तथा

ङ) अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन उपनियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

<u>मामला संख्या 26</u>

(श्रीमती वीणा होरा, सी-12, ईस्ट ऑफ कैलाश, दिल्ली)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने सी-12, ईस्ट ऑफ कैलाश, दक्षिण पूर्व दिल्ली, दिल्ली में 18.00 मीटर (ममटी, पैरापेट, वाटर स्टोरेज टैंक, मशीन रूम, जनरेटर रूम, एचवीएसी यूनिट, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पेंटहाउस, टेरेस गार्डन की संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ बेसमेंट = स्टिल्ट = जीएफ = 1 एफ = 2 एफ = 3 एफ = 135.98 वर्ग मीटर, बेसमेंट की गहराई = 03.53 मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को अध्याय VI में दिए गए भवन संबंधी निर्धारित मानकों का पालन करना चाहिए और सभी हितधारकों को संरक्षित संस्मारक, "अशोक के शिलालेख के साथ-साथ सर्वेक्षण प्लॉट नंबर 600 के हिस्से में शामिल आस-पास का क्षेत्र", ईस्ट ऑफ कैलाश, दक्षिण पूर्व दिल्ली, दिल्ली की अनुमोदित धरोहर उप-विधि (एचबीएल) के अध्याय VII में दी गई स्थल विशिष्ट सिफारिशों का पालन करना चाहिए। निर्माण कार्य में एचबीएल में निर्धारित नियमों और शर्तों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

ख) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए,

ग) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उपनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

ङ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए; तथा

च) अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन उपनियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए।

छ) बेसमेंट का निर्माण भूमि उपयोग और संबंधित स्थानीय भवन उप-नियमों/क्षेत्रीय विकास योजना के तहत निर्दिष्ट अन्य प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए और पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि सतह जल निकासी बेसमेंट में प्रवेश न करे।

<u>मामला संख्या 27</u>

(श्रीमती राधिका दयाल और श्रीमती शिवानी हेगड़े इसकी एसपीए श्रीमती राधिका दयाल के माध्यम से, प्लॉट नंबर 91, उदय पार्क, मस्जिद मोठ एक्सटेंशन, नई दिल्ली)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने प्लॉट नंबर 91, उदय पार्क, मस्जिद मोठ एक्सटेंशन, नई दिल्ली में 18.00 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर रूम, मशीन रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचनाएं आदि सहित) की ऊंचाई के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिलों के साथ बेसमेंट = 130.94 वर्ग मीटर, स्टिल्ट = जीएफ = 1 एफ = 2 एफ = 3 एफ = 130.20 वर्ग मीटर, बेसमेंट की गहराई = 03.20 मीटर तलक्षेत्र के आवासीय भवन के निर्माण के लिए अनुमति देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया। अनुमति प्रदान करने की सिफारिश निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) आवेदक को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए;

ख) आवेदक को निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित/आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए;

ग) आवेदक को निर्माण के लिए और निर्माण के दौरान स्थानीय भवन उप-नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए;

घ) आवेदक को निर्माण पूरा होने के बाद संबंधित स्थानीय निकाय से आवश्यक अधिभोग-सह-पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए;

ड़) अग्नि और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदक को भवन उप-नियमों के तहत जहां भी आवश्यक हो, अग्निशमन विभाग की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए, तथा

च) बेसमेंट का निर्माण भूमि उपयोग और संबंधित स्थानीय भवन उप-नियमों/क्षेत्रीय विकास योजना के तहत निर्दिष्ट अन्य प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए और पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि सतह जल निकासी बेसमेंट में प्रवेश न करे।

<u>मामला संख्या 28</u>

(श्री विक्रम गुप्ता और श्रीमती सोनिया एस गुप्ता, प्लॉट नं. ए -1, मेफेयर गार्डन, नई दिल्ली)

आवेदन के अवलोकन के बाद प्राधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ मामले को **खारिज** करने का निर्णय लिया:

क) आवेदक को भारतीय न्याय संहिता, 2023 के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, 01 जुलाई 2024 से राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (एनएमए) की वेबसाइट पर उपलब्ध नए प्रारूप में संशोधित स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए।

ख) प्रस्तावित निर्माण शुरू होने के बाद निर्धारित दूरी को स्थापित करने के लिए भवन योजना में प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा, जो संबंधित संरक्षित संस्मारक की सीमा से 04.50 मीटर की दूरी पर है, को इंगित नहीं किया गया था।

ग) फॉर्म-1, स्व-घोषणा और भवन योजना में छह आवेदकों के नाम उल्लिखित थे, हालांकि, फॉर्म-2 में केवल दो आवेदकों के नाम उल्लिखित थे।

****